कार्यालय नगर पालिका परिषद ,अयोध्या

प्रधानमंत्री आवास योजना

सार्वजनिक सूचना

अयोध्या पालिका सीमान्तर्गत समस्त निवासियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सबके लिए आवास हेतु प्रारम्भ की गयी इस योजनान्तर्गत नीति में विभिन्न घटकों के अन्तर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। पालिका क्षेत्र के सभी आवासहीन परिवारों से प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाते है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत विद्यमान आवास के विस्तार (जिन लाभार्थियों के पास पक्का /अर्द्धपक्का आवास 21 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक है ,का विस्तार नियमानुसार 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक) किया जा सकता है। इस हेतु नगर पालिका परिषद अयोध्या क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपना आवेदनपत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर पालिका कार्यालय में दिनांक 09.09.2016 तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

पात्रता की शर्ते

1. भारत के किसी भी भाग में लाभार्थी या उसके परिवार (पति ,पत्नी ,व अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम पक्का मकान नही होना चाहिये।
2. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा रू0 तीन लाख तक एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए वार्षिक आय सीमा रू0 तीन लाख से छः लाख तक है।
3. बैक खाता पासबुक की छायाप्रति जो वर्तमान में चालू हो।
4. आधार कार्ड कमांक /वोटर कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाइल नम्बर जो चालू हो।
5. जाति प्रमाणपत्र (आरक्षित संवर्ग में हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
6. विकलांग प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी /भूतपूर्व सैनिक यदि हो तो उनके प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
8. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति।

नोट –

1. अधिक जानकारी के लिए संबंधित अधिशाषी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी ,डूडा से सम्पर्क करें।
2. फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे www.sudaup.org से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नही होगा।

(कु0 पूजा त्रिपाठी)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद ,अयोध्या